न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 28/2008 (विविध)

उनवान :– 1. लालाराम पुत्र मदन कन्हैया जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला अलवर ।

:—— अपीलांट

बनाम

1. महावीर,
2. मनपाल,
3. राजेन्द्र उर्फ राजाराम,
4. घासीराम पुत्रान झूंथर जाति अहीर निवासी ग्राम भोजराजका तहसील कोटकासिम जिला अलवर

:—— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी,कोटकासिम दिनांक 12.6.2006

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा
2. वकील रेस्पो0 :– सर्व श्री भगवानसहाय शर्मा जगदीश प्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद शर्मा

निर्णय दिनांक 22.8.2016

1. प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 24/2006 उनवान महावीर बनाम लालाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 12.6.06 के विरूद्ध है, जिस निर्णय के द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया गया है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी महावीर ने उपखंड अधिकारी, कोटकासिम के यहां एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 448 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम भोजराजका

Scanned by CamScanner

तहसील कोटकासिम प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । अप्रार्थी असल की आराजी इस आराजी से लगती हुई है । प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि की डोल को लेकर असल अप्रार्थी आये दिन झगडा करते हैं । प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी ने तहसीलदार कोटकासिम के आदेश कमांक 67 दिनांक 5.6.2005 को अपनी आराजी की पैमायश कराई हुई है । अत निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पैमायश रिपोर्ट दिनांक 5.6.2005 के अनुसार पत्थरगढी कराने का आदेश फरमावे । विद्वान उपखंड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है,जिसके विरूद्ध यह अपील अप्राथी ने पेश की है ।

3. विद्वान वकील अप्रार्थी अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विद्वान तहत न्यायालय का निर्णय जिस पैमायश रिपोर्ट दिनांक 5.6.2005 के आधार पर पारित किया गया है, वह पैमायश रिपोर्ट विधिसम्मत नहीं है । पैमायश रिपोर्ट तैयार करते समय मुझे नहीं बुलाया गया । इकतरफा मे रिपोर्ट तैयार की गई है । कानूनन सभी पक्षकारान की उपस्थिति मे एव मुस्तकिल पॉईंट से पैमायश कर रिपोर्ट तैयार कराई जानी चाहिये । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है । अत: अपील स्वीकार की जावे ।

4. जवाब मे विद्वान वकील प्रार्थी रेस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि है,जिसकी डोल को लेकर अप्रार्थी असल आये दिन झगडा करते है । पैमायश रिपोर्ट विधिसम्मत तैयार की गई है । तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है । अत: अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व हमारे समक्ष निम्न विवाधक उभर कर सामने आये है :–

1. क्या धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने वाले अधिकारी की हैसियत उपखंड अधिकारी की है अथवा भू अभिलेख अधिकार की है ।

2. अगर धारा 128 के प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है तो क्या उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को लाई करेगी अथवा नहीं ।

विवाधक बिन्दू :– 1

क्या धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने वाले अधिकारी की हैसियत उपखंड अधिकारी की है अथवा भू अभिलेख अधिकारी की है ।

इस सम्बन्ध में हमने धारा 75 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । धारा 75 में प्रावधान दिया गया है कि भू राजस्व अधिनियम के तहत पारित आदेशों की प्रथम अपील धारा 75 के तहत होगी ।

Scanned by CamScanner

धारा 128 एल0 आर0 एक्ट में प्रावधान दिया गया है कि इस धारा के तहत पेश प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है, इसलिये इसके विरूद्ध अपील भू अभिलेख निदेशक को होगी । इस प्रावधान की 1993 आर0 आर0 डी0 720 में व्याख्या की गई है, जिसका भी हमने अध्ययन किया । इस न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी बीकानेर (उत्तर) ने धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित किया । इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को हुई । राजस्व अपील अधिकारी ने ज्यूरिसडिक्शन (अधिकारिता) के बिन्दू पर अपील खारिज की । प्रकरण आगे माननीय राजस्व मण्डल में पेश हुआ । माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 128 पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से ही आदेश पारित करता है। आदेश पर अगर उपखंड अधिकारी की सील लगा दी जाती है तो भी वह आदेश भू अभिलेख अधिकारी द्वारा ही पारित किया हुआ माना जावेगा । इसके विरूद्ध अपील भू अभिलेख निदेश को होगी, राजस्व अपील अधिकारी ने अधिकारिता के बिन्दू पर सही तौर पर अपील खारिज की है ।

इसके अलावा न्यायिक दृष्टांत 2002 आर0 आर0 डी0 326 तथा 2002 (2) आर0 आर0 टी0 पेज 863 में प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी अध्ययन किया । इन न्यायिक दृष्टांतों के सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि उपखंड अधिकारी ने भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित किया । इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को हुई । राजस्व अपील अधिकारी ने अधिकारिता के बिन्दू पर अपील खारिज की । प्रकरण आगे माननीय राजस्व मण्डल में इस आधार पर पेश किया गया कि राजस्व अपील अधिकारी को अपील खारिज न करके सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु लौटाना चाहिये था । माननीय राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया कि रेवेण्यू कोर्टस मैन्यूअल में अपील को लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है, राजस्व अपील अधिकारी ने सही तौर पर अपील खारिज की है ।

2. विवाधक नम्बर 02 :–
अगर धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है तो क्या इसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को लाई करेगी अथवा नहीं

धारा 75 (च) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रावधान दिये हुये हैं कि भू अभिलेख अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश के विरूद्ध भू अभिलेख निदेशक को धारा 75 एल0 आर0 एक्ट के तहत अपील की जा सकती है ।

Land Revenue Law in Rajasthan Writer S. K. Dutt Revised and Enlarged Edition 2007 में धारा 75 पेज नम्बर 203 के बिन्दू नम्बर 09 में राजस्व अपील अधिकारी की अधिकारिता के बारे में बताया गया है कि R.A.A. has no jurisdiction to hear appeal U/S 75 against of S.D.O. passed in capacity of Land Record Officer, order passed by R.A.A. rejecting appeal is justified.

Scanned by CamScanner

6. उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं धारा 75 व 128 एल0 आर0 एक्ट तथा उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर उपखंड अधिकारी भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से आदेश पारित करता है, चाहे उस आदेश पर उपखंड अधिकारी की सील ही क्यूं ना लगी हो और उस आदेश की अपील धारा 75 एल0 आर0 एक्ट के तहत राजस्व अपील अधिकारी के श्रवणाधिकार में नहीं है । चूंकि प्रस्तुत अपील उपखंड अधिकारी द्वारा भू अभिलेख अधिकारी की हैसियत से धारा 128 एल0 आर0 एक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई है, जो कि उपरोक्त समस्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपील अधिकारी के श्रवणाधिकार में नहीं है । लिहाजा अपील अपीलांट ज्यूरिसडिक्शन (अधिकारिता) में नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है ।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट अधिकारिता में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है ।

8. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । तहत पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापिस लौटाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(संजू शर्मा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner